

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

विधवा भरण-पोषण अनुदान (पेंशन का प्रार्थना पत्र)

1 आवेदक का नाम

2. पति का नाम.....

3. पता:-

ग्राम/ मौहल्ला.....पोस्ट.....

विकास खण्ड.....तहसील जनपद.....

मोबाइल नं0.....(स्वयं का अथवा किसी परिचित का)

4 पति के मृत्यु की तिथि.....(मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)

5. जाति.....

6 बी.पी.एल. चयनित परिवार का कमांक या वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र.....
(उपरोक्त में से कोई एक अनिवार्य रूप से प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

7 जन्मतिथि/आयु(रजिस्टर भाग-दो/फोटो पहचान पत्र/शैक्षिक अभिलेख के आधार पर)

8 (1) डाकघर/ई बैंकिंग सुविधायुक्त बैंक का नाम एवं पता.....

(2) खाता सं०

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) IFS Code No

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(4) डाकघर/बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो प्रति (अनिवार्य रूप से संलग्न करें)

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करती हूँ कि आवेदन-पत्र में दी गयी सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है। किसी भी असत्य या छिपायी गयी सूचना हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगी। किसी भी बिन्दु पर दी गयी असत्य सूचना के लिये मैं पेंशन के रूप में प्राप्त धनराशि को भू-राजस्व के रूप में राजकोष में जमा करूँगी।

दिनांक:.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

प्रमाणित किया जाता है कि :-

- 1 श्रीमती.....पत्नी स्व० श्री.....जो 18 वर्ष से अधिक आयु की हैं ,ने विधवा पेंशन हेतु आवेदन किया है ।
2. श्रीमतीबी.पी.एल.चयनित परिवार के है तथा बी.पी.एल. कमांक..... है । अथवा आवेदक की समस्त श्रोतो से मासिक आय रु०.....है (प्रमाण-पत्र संलग्न)।

ग्रामीण क्षेत्र के लिये

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
के हस्ताक्षर व मुहर

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर
एवं मुहर

शहरी क्षेत्र के लिये

सहा० समाज कल्याण अधिकारी
हस्ताक्षर एवं मुहर

तहसीलदार के हस्ताक्षर
एवं मुहर

नवीनतम फोटो जो ग्राम प्रधान/सदस्य क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, अध्यक्ष/समासद नगर पालिका /पंचायत,ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से सत्यापित